[2021] 5 एस. सी. आर. 11

जयम्मा और ए. एन. आर.

वी.

कर्नाटक राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 758)

07 मई, 2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई, सूर्या कान्ट और

अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एस. 302 आर/डब्ल्यू 34-आरोप कि पक्षों के बीच पिछले विवाद के कारण, इरादे से आरोपी पीड़ित को मारने के लिए उसके घर गया, उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसे आग लगा दी-निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया-हालांकि, उच्च न्यायालय ने मृत्यु की घोषणा और मृत्यु की घोषणा दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के पुष्टि वाले बयान के आधार पर और

जिस डॉक्टर ने इस तरह का बयान देने के लिए पीड़ित की मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन किया, उसने आरोपी यू/एस को दोषी ठहराया। 302 आर/डब्ल्यू 34 और आजीवन कारावास लगाया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: अभियुक्त की दोषसिद्धि को केवल मृत्यु घोषणा के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है-मृत्यु घोषणा में घटनाओं का वर्णन इतना सटीक था कि विश्वास किया जा सकता था-घायल पीड़ित एक अनपढ़ बूढ़ा व्यक्ति था और इस तरह की सटीकता के साथ घटना के कार्यवृत्त को बताने में सक्षम होना मानवीय संभावनाओं से परे है-पीड़ित को शरीर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों पर 80 प्रतिशत जलने की चोटों के कारण, उसके स्वस्थ न होने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है-पुलिस अधिकारी ने डॉक्टर से पहले पीड़ित की फिटनेस का समर्थन करने के लिए नहीं कहा था।

बयान दर्ज करना-पीड़ित के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लगी जलने की चोटों की प्रकृति के संबंध में डॉक्टर और पुलिस अधिकारी के बयान के बीच गंभीर विरोधाभास है।

हत्या का कथित मकसद संदिग्ध था-असामान्य

पीड़ित के बेटे और उसकी बहू का आचरण और व्यवहार इस समानांतर संस्करण का समर्थन करता है कि पीड़ित ने आत्महत्या की होगी-अभियोजन पक्ष के पास मृत्यु की घोषणा दर्ज करने के लिए न्यायिक/कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बुलाने के लिए पर्याप्त समय था, हालांकि ऐसा नहीं किया गया था-इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने बरी होने के खिलाफ अपील पर संक्षिप्त रूप से विचार किया और स्पष्ट विरोधाभासों पर ध्यान नहीं दिया -

तथाकथित उद्देश्य बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ है और इस प्रकार, घोषणा एक गैर-अस्तित्व वाली घटना का पाठ करती है-इस प्रकार, द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निचली अदालत पूरी तरह से समर्थित है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। साक्षय अधिनियम, 1872: एस. 32 - मृत्यु घोषणा-साक्षय मूल्य-पूरी तरह से उस पर आधारित दोषसिद्धि की निरंतरता-आयोजितः

जब मृत्यु घोषणा को कानून के अनुसार दर्ज किया जाता है, और यह घटना की एक ठोस और प्रशंसनीय व्याख्या देता है, तो इसे अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र साक्षय के रूप में भरोसा किया जा सकता है-मृत्यु घोषणा को इस आधार पर साक्षय में स्वीकार किया जाता है कि मृत्यु की आशंका शपथ के तहत एक कर्तव्यनिष्ठ और निर्दोष व्यक्ति की समान मानवीय भावनाओं को जन्म देती है-यह एक व्यक्ति के अंतिम शब्द हैं जिन्हें सच्चा माना जाता है, और किसी भी उद्देश्य या द्वेष से संक्रमित नहीं किया जाता है-इस प्रकार, मृत्यु घोषणा आवश्यकता के सिद्धांत पर साक्षय में स्वीकार्य है क्योंकि निर्माता के जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद है, और यदि विश्वसनीय पाया जाता है, तो यह निश्चित रूप से दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 378 - बरी होने के मामले में अपील-उच्च न्यायालय द्वारा यू/एस द्वारा शक्ति का प्रयोग। 378 आयोजित किया गयाः उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली जांच की शक्ति। 378 जहां विचारण न्यायालय द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था, वहां नियमित रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए-जब तक कि उच्च न्यायालय को यह पता न चले कि भौतिक साक्षय का पूरी तरह से गलत अध्ययन किया गया है जिसके कारण

न्याय की विफलता, निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण जो संभवतः एक सही दृष्टिकोण भी हो सकता है, में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है-यह आत्म-संयम सिद्धांत, निश्चित रूप से, उच्च न्यायालय को साक्षय की पुनः सराहना करने की अपनी शक्तियों से वंचित नहीं करता है, जिसमें एक अपील भी शामिल है।

बरी किए जाने के खिलाफ और तथ्य के एक अलग निष्कर्ष पर पहुँचें।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. जब मृत्यु घोषणा कानून के अनुसार दर्ज की गई है, और यह एक ठोस और प्रशंसनीय देता है घटना के स्पष्टीकरण में, न्यायालय अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र साक्षय के रूप में इस पर भरोसा कर सकता है। यही कारण है कि साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 32 सुनाई देने वाले साक्षय की स्वीकार्यता के खिलाफ सामान्य नियम का एक अपवाद है और इसका खंड (1) मृतक के बयान को स्वीकार्य बनाता है। ऐसा बयान, जिसे "मृत्यु घोषणा" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एक व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण या जयम्मा और ए. एन. आर. द्वारा की गई चोटों के बारे में दिया जाता है।

वी. कर्नाटक राज्य

जिसकी परिणति उनकी मृत्यु या उन परिस्थितियों में हुई जिनके तहत उन्हें चोटें लगी थीं। इस प्रकार एक मृत्यु घोषणा को साक्षय में स्वीकार किया जाता है।

इस आधार पर कि मृत्यु की प्रत्याशा उसी मानवीय भावनाओं को जन्म देती है जो शपथ के तहत एक कर्तव्यनिष्ठ और निर्दोष व्यक्ति की होती है। यह एक ऐसा कथन है जिसमें किसी व्यक्ति के मृत्यु से पहले के अंतिम शब्द शामिल होते हैं जिन्हें सच्चा माना जाता है, और किसी भी उद्देश्य या द्वेष से संक्रमित नहीं माना जाता है। इसलिए मृत्यु घोषणा आवश्यकता के सिद्धांत पर साक्षय में स्वीकार्य है क्योंकि निर्माता के जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद है, और यदि विश्वसनीय पाया जाता है, तो यह निश्चित रूप से दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। [पैरा 15] [29-बी-ई]

पी. वी. राधाकृष्ण। वी. कर्नाटक राज्य (2003) 6 एस. सी. सी. 443 [2003] 1 पूरक। एससीआर 745; चाको बनाम। केरल राज्य (2003) 1 एस. सी. सी. 112; शाम शंकर कांकरिया बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2006) 13 एससीसी 165: [2006] 5 पूरक। एस. सी. आर. 709; पानीबेन बनाम। गुजरात राज्य (1992) 2 एससीसी 474: [1992] 2 एस. सी. आर. 197; संपत बाबसो काले

और एक अन्य वी। महाराष्ट्र राज्य 2019 (4) एससीसी

739 : [2019] 5 एस. सी. आर. 904-संदर्भित।

2. इस मुद्दे पर यथासंभव ध्यान देने के बाद, और मूल दस्तावेज़ मृत्यु घोषणा की एक मिनट की जांच पर (इसकी सामग्री को समझे बिना क्योंकि यह कन्नड़ भाषा में है, सिवाय इसके कि डॉक्टर का समर्थन अंग्रेजी में है) रिकॉर्ड में रखे गए इसके सही अनुवाद के साथ पढ़ा जाता है, पीडब्लू-11, पुलिस अधिकारी और पीडब्लू-16, डॉक्टर द्वारा कई कारणों से इसकी पुष्टि के साथ उक्त दस्तावेज़ के आधार पर अपीलार्थियों को दोषी ठहराना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं पाया जाता है। सबसे पहले, मृत्यु घोषणा में घटनाओं का वर्णन इतना सटीक है कि मन की सामान्य स्थिति में एक गवाह से भी इतनी सटीकता के साथ गवाही देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालाँकि यह कहा गया है कि मृतक से पुलिस अधिकारी ने पूछताछ की थी, लेकिन कथित रूप से मरने वाला घोषणा प्रश्न और उत्तर प्रारूप में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभुत्व ने उत्तरों को केवल एक दिशा में प्रभावित किया है। दूसरा, घायल पीड़ित एक अनपढ़ बूढ़ा व्यक्ति था और यह मानवीय संभावनाओं से परे प्रतीत होता है कि वह घटना के कार्यवृत्त को इतनी उच्च स्तर की सटीकता के साथ बताने में सक्षम होती। तीसरा, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि पीड़ित [2021] 5 एस. सी. आर. था।

अत्यधिक शामक दर्दनाशक दवाएँ दी गईं। पीड़ित के शरीर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों पर 80 प्रतिशत जलने की चोटों के कारण, यह वैध रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह दर्द से जूझ रही थी और बहुत पीड़ा में थी और उसके भ्रम की स्थिति में होने की संभावना थी और मतिभ्रम को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर (पीडब्लू 16) ने इस बात का समर्थन किया कि पीड़ित 'बयान दर्ज होने के बाद' बयान देने के लिए स्वस्थ स्थिति में था, न कि 'पहले'-यह सामान्य प्रथा है। यह आगे प्रतीत होता है कि घायलों के संकायों में भारी कमी आई थी और सूचनात्मक रूप में बयान देने के बजाय उन्होंने स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारी (पीडब्लू-11) के इरादे का समर्थन किया था। यह सच है कि पुलिस अधिकारी (पीडब्लू-11) के पास पीसने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं थी या अपीलकर्ताओं को फंसाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन कुछ ही समय में एक आपराधिक मामले को हल करने के लिए उसके अति उत्साह ने पुलिस अधिकारी (पीडब्लू-11) को इतना प्रभावित किया कि उसने बयान दर्ज करने से पहले डॉक्टर से पीड़ित की योग्यता का समर्थन करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने इस तरह के बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बुलाना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि वे स्वयं सबसे अच्छी तरह से जानते थे। चौथा, पीड़ित के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लगी जलने की चोटों की प्रकृति के संबंध में एक ओर पीडब्लू-16 और दूसरी ओर पीडब्लू-11 के बयान के बीच गंभीर विरोधाभास है। जबकि डॉक्टर स्वीकार करता है कि जले हुए घावों में पीड़ित के हाथ भी शामिल हैं, पुलिस अधिकारी का दावा है कि उसके हाथ सुरक्षित थे और वह अपने अंगूठे का निशान लगा सकती थी। अंगूठे की छाप को बहुत सावधानी से देखा जाता है और यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है। यदि ऐसा है, तो वह चिकित्सा अधिकारी, जिसके बयान को चोटों की प्रकृति और गंभीरता के संबंध में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, गलत है। पाँचवाँ, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से पुलिस अधिकारी पीडब्लू-11 स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पुलिस से समर्थन नहीं मांगा था।

बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर ने पूछा कि क्या घायल व्यक्ति बयान देने के लिए स्वस्थ स्थिति में था। दोनों

पुलिस अधिकारी के साथ-साथ डॉक्टर ने डॉक्टर के कथित मौखिक समर्थन का उल्लेख करके इस गंभीर कमी को छिपाने की कोशिश की है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण में था और कानूनी कमी को भरने के लिए, उसने बाद में डॉक्टर पीडब्लू-16 से अनुमोदन प्राप्त किया।

कागज का उपलब्ध स्थान, जो पूर्व-दृष्टि से असामान्य है और जयम्मा और ए. एन. आर. में नहीं है।

वी. कर्नाटक राज्य

तय की गई कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप। छठा, हत्या की मौत का कथित मकसद बेहद संदिग्ध है। कुछ भी सबूत नहीं है, और अभियोजन पक्ष ने बयान में सच्चाई को सत्यापित करने का कोई प्रयास नहीं किया है कि अपीलकर्ताओं ने मिट्टी का तेल डाला और पीड़ित को केवल इसलिए आग लगा दी क्योंकि उसके बेटे ने अपीलकर्ता संख्या 1 के पति पर हमला किया था और आरोपी 4,000/- रुपये के भुगतान पर जोर दे रहे थे जो पीड़ित के इलाज पर खर्च किया गया था।

कहा हमला-पीड़ित। बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है जब मृतक के अपने बेटे और बहू ने इस घटना से इनकार किया है और बल्कि

दावा किया कि उनकी सास ने आत्महत्या कर ली है। मरने वालों को वीणा बजाने से रोकने का सातवां कारण

घोषणा पक्षों का आचरण है, यानी एक स्वाभाविक उपाय जो होने की उम्मीद है। अगर यह हत्या का मामला होता, और पीड़ित का बेटा पीडब्लू-2 और उसकी बहू पीडब्लू-5 इस घटना के गवाह होते, तो सभी संभावनाओं में, वे होते।

घायलों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया। इसके विपरीत, डॉक्टर और पुलिस अधिकारी के साक्षय से पता चलता है कि मृतक का बेटा, बहू और पड़ोसी अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस तरह के भयानक अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस से संपर्क नहीं किया। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि बेटा और घटना के कुछ घंटों के भीतर मृतक की बहू को अभियुक्त व्यक्तियों ने जीत लिया। यह असामान्य आचरण और व्यवहार समानांतर संस्करण को समर्थन देता है कि पीड़ित ने आत्महत्या की होगी। आठवाँ कारण जो इस न्यायालय को कथित मृत्यु घोषणा की सामग्री को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक बनाता है, वह तथ्य है कि पीड़ित को 22.09.1998 पर सुबह 12.30 पर सिविल अस्पताल लाया गया था। लगभग 30 घंटे बाद 5 बजे उसने दम तोड़ दिया। 30 मैं 23.09.1998 पर हूँ। न तो अभियोजन का मामला है और न ही पीडब्लू-11 या पीडब्लू-16 द्वारा ऐसा कहा गया है कि अपना बयान दर्ज करने के तुरंत बाद वह बेहोश हो गई या कोमा में चली गई। इसलिए अभियोजन पक्ष के पास मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए न्यायिक/कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बुलाने के लिए पर्याप्त समय था। यह सामान्य ज्ञान है कि ऐसे अधिकारियों को सभी अनिवार्य पूर्व-आवश्यकताओं का पालन करने के बाद मृत्यु घोषणाओं को दर्ज करने के लिए न्यायिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणन या समर्थन शामिल है कि पीड़ित बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था। कानून अनिवार्य रूप से [2021] 5 एस. सी. आर. नहीं है।

मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति की आवश्यकता होती है या यह कि मृत्यु घोषणा को एकमात्र साक्षय के रूप में तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि

न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट। यह केवल विवेक के नियम के रूप में है, और यदि तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है, तो मृत्यु घोषणा को अधिमानतः न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जा सकता है ताकि अभियोजन मामले को अतिरिक्त ताकत मिल सके। [पैरा 22] [31-जी-एच; 32-ए-एच; 33-ए-एच; 34-ए-डी]

3. अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के संबंध में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण जांच की शक्ति के कारण अलग है

धारा 378 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य, सी. आर. पी. सी. को नियमित रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए जहां निचली अदालत द्वारा गठित दृष्टिकोण एक 'संभावित दृष्टिकोण' था। निचली अदालत के फैसले को केवल इसलिए दरकिनार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय अपने स्वयं के विचार को अधिक संभावित मानता है, सिवाय इसके कि निचली अदालत के फैसले से पीड़ित है।

यदि अभिलेख पर साक्षय का सही अध्ययन और विश्लेषण हो तो विकृति या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष असंभव थे। इसे अलग तरह से कहने के लिए, जब तक कि उच्च न्यायालय यह नहीं पाता कि वहाँ है

उन भौतिक साक्षय का पूर्ण रूप से गलत अध्ययन, जिसके कारण न्याय की विफलता हुई है, निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण जो संभवतः एक सही दृष्टिकोण भी हो सकता है, में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यह आत्म-संयम सिद्धांत, निश्चित रूप से, उच्च न्यायालय को सबूतों की पुनः सराहना करने की अपनी शक्तियों से वंचित नहीं करता है, जिसमें बरी होने के खिलाफ अपील करना और तथ्य के एक अलग दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचना शामिल है।

[पैरा 23] [34-ई-जी]

4. यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर संक्षिप्त रूप से विचार किया और नेत्र संबंधी मामले पर भी चर्चा नहीं की।

साक्षय, विशेष रूप से मृतक के दामाद और बहू, जिन्होंने कुछ हद तक डॉक्टर (पीडब्लू-16) या जांच अधिकारी (पीडब्लू-11) के कथन को झुठलाया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृतक के बेटे (पीडब्लू-2) के अनुसार, पीड़ित होश खो चुकी थी और उस समय बोलने में असमर्थ थी जब उसे (पीडब्लू 3) द्वारा व्यवस्थित बैलगाड़ी में अस्पताल ले जाया गया था। इस तरह के बयान (बयानों) को खारिज या

अस्वीकार किए बिना, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि घायल 1 पर मन की स्वस्थ स्थिति में था: 15 जब कथित मृत्यु घोषणा दर्ज की गई थी।

उनका राज्य जयम्मा और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य

5. दस्तावेज़ में ही कहा गया है कि घायल मृतक के बेटे ने अपीलार्थी नंबर 1 के पति को पीटा था और अपीलार्थियों ने कथित तौर पर रुपये का चिकित्सा खर्च उठाया था। 4,000 / - जिसे उन्होंने घायल-मृतक से माँगा और फिर उन्होंने मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। घायल पक्ष की ओर से किसी भी उकसावे की अनुपस्थिति में, कारण अपने आप में इतना तुच्छ प्रकृति का है और अपीलार्थी संख्या 1 के पति को कोई चोट पहुँचाने के तथ्य को मृतक की बहू द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है, इस तथ्य के साथ कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ऐसी कोई घटना हुई थी, तथाकथित उद्देश्य बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ है और घोषणा, इस प्रकार, एक अस्तित्वहीन घटना का पाठ करती है। [पैरा 25] [35-ई-जी]

6. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस बारे में बिंदु तैयार किया कि -

क्या अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे यह साबित करने में सक्षम था कि आरोपी व्यक्ति पीड़िता को मारने के इरादे से उसके घर गए और पिछले विवाद के संबंध में झगड़ा किया और फिर उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे रख दिया। प्रज्ज्वलित करें। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पूरे साक्षय की व्यापक रूप से जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि मकसद या घटना के सभी गवाहों ने विरोध किया है और शत्रुतापूर्ण घोषित किया है, उनके पास यह तय करने के लिए अवशिष्ट प्रश्न छोड़ दिया गया था कि मृत्यु आत्महत्या थी या हत्या। इसके बाद, उन्होंने अंतिम घोषणा को जटिल और गंभीर माना।

पीडब्लू-11 और पीडब्लू-16 के बयानों का विश्लेषण किया।

1] 5 एस. सी. आर. जैसे कारक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृत्यु घोषणा में अंतर्वेशन; हथेली पर चोटों के संबंध में पीडब्लू-11 और पीडब्लू-16 के बयानों में विरोधाभास; 80 प्रतिशत चोटों वाली पीड़ित स्पष्ट रूप से बात करने या बयान देने की स्थिति में नहीं थी; मृतक के बेटे ने स्वयं कहा कि उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह यह सहन नहीं कर सकती थी कि उसके दूसरे बेटे को जेल भेज दिया गया था; बयान के लिए कोई पुष्टि करने वाला सबूत नहीं था; और बयान के अलावा अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ने के लिए अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में कोई अन्य सबूत नहीं है, उसने मृत्यु घोषणा के एकल आधार पर अपीलार्थियों को दोषी ठहराना असुरक्षित माना। निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन किया जाता है। अभियोजन पक्ष के मामले की वास्तविकता पर संदेह करने के लिए दिए गए कारण पर्याप्त हैं। इस प्रकार, केवल मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषसिद्धि को बनाए रखना मुश्किल है। [पारस 26 और 27] [35-एच; 36-ए-ई]

चंद्रप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य (2007) 4 एससीसी 415: [2007] 2 एस. सी. आर. 630; पेरला सोमशेखर रेड्डी और

अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 16 एस. सी. सी. 98: [2009] 8 एस. सी. आर. 145; राजस्थान राज्य बनाम शेरा राम (2012) 1

एससीसी 602: [2011] 15 एस. सी. आर. 485; श्याम बाबू बनाम। की स्थिति उत्तर प्रदेश (2012) 8 एससीसी 651: [2012] 8 एससीआर 255;

मुरुगेसन बनाम. राज्य (2012) 10 एससीसी 383 [2012]

13 एस. सी. आर. 1; मुक्किया बनाम। राज्य (2013) 2 एससीसी 89: [2013]

2 एस. सी. आर. 881; शिवशरणप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य

(2013) 5 एससीसी 705 [2013] 5 एससीआर 1104; सुरिंदर

कुमार बनाम. हरियाणा राज्य (2011) 10 एससीसी 173: [2011]

12 एस. सी. आर. 1205; पापरमबाका रोसम्मा और ओ. आर. एस. बनाम। राज्य

ए. पी. (1999) 7 एस. सी. सी. 695: [1999] 2 पूरक। एससीआर 328;

विजय पाल बनाम. राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) (2015)

4 एससीसी 749: [2015] 3 एस. सी. आर. 394-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2007] 2 एससीआर 630

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[2009] 8 एससीआर 145

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[2011] 15 एससीआर 485

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[2012] 8 एससीआर 255

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[2012] 13 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 9 जयम्मा और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य

[2013] 2 एससीआर 881

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[2013] 5 एससीआर 1104

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[2011] 12 एससीआर 1205

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[1999] 2 पूरक। एससीआर 328

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[2015] 3 एससीआर 394

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2003] 1 पूरक। एससीआर 745

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14-ए

(2003) 1 एससीसी 112

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14-बी

[2006] 5 पूरक। एससीआर 709

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14-सी

[1992] 2 एससीआर 197

पै

रा 14-सी

संदर्भित किया गया है

[2019] 5 एससीआर 904

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2010 का सं. 758।

उच्च न्यायालय के 29.07.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 की आपराधिक अपील सं. 672 में बैंगलोर में।

2016 की आपराधिक अपील संख्या 573। एम/एस के लिए शेखर जी. देवसा, मनीष तिवारी, राहुल कुल्हारे।

देवसा एंड कंपनी, विजय कुमार, सुश्री विदुषी गर्ग, सुश्री वितिका गर्ग, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल,

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

ये आपराधिक अपीलें, जिनकी सुनवाई वीडियो के माध्यम से की गई है

सम्मेलन, बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.07.2008 के सामान्य निर्णय के खिलाफ निर्देशित किए जाते हैं, जिसमें निचली अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया गया था और अपीलार्थियों के बरी होने के फैसले को दरकिनार करने के बाद, उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 ("आई. पी. सी".) की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और परिणामस्वरूप उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्य

थिप्पेस्वामी (पीडब्लू-16) ने चिकित्सक-कानूनी मामले की जानकारी थलक को भेजी। पुलिस स्टेशन, और इसकी प्राप्ति पर, एस. एच. ओ. के. वी. मल्लिकार्जुनप्पा (पीडब्लू 11) अस्पताल पहुंचे और घायल जयम्मा (एक्स. पी-5) पीडब्लू-16 की उपस्थिति में। जयम्मा ने अपने बयान में सभी अपीलार्थियों को शामिल किया। उक्त कथन के आधार पर, अपराध

1998 का सं. 101 आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 504,307,114 के तहत थलक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। चोटों की गंभीरता के कारण, पीड़ित को बाद में चित्रदुर्ग के सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। हालाँकि, 23.09.1998 पर 5 बजेः 30 एएम, जयम्मा ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

3. जयम्मा की मृत्यु के बारे में सूचित किए जाने पर, पुलिस ने अदालत को एक अनुरोध भेजा, जिसमें धारा 307 के तहत उस अपराध का अनुरोध किया गया।

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 34 आई. पी. सी. के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध में परिवर्तित किया जाए। एएसआई जे. संजीव मूर्ति (पीडब्लू-14) ने अस्पताल का दौरा किया और जाँच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और डॉ. सुनील चौहान (पीडब्लू जयम्मा और एएनआर) द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई।

वी. कर्नाटक राज्य [सूर्या कांत, जे.]

19) , जिसमें, यह राय दी गई थी कि जयम्मा की मौत व्यापक जलने की चोटों के कारण सदमे से हुई थी। इसके बाद, पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया, मजार को खींचा और रमेशनिका (पीडब्लू-1) और ईश्वरनिका (पीडब्लू-15) की उपस्थिति में कुछ जब्ती की। आगे की जाँच के दौरान, पीएसआई चंद्रहास नाइक (पीडब्लू-13) और सीपीआई शंकर (पीडब्लू-18) ने गवाहों के बयान दर्ज किए और अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया। हालाँकि, अपीलार्थी संख्या 1 अग्रिम जमानत प्राप्त करने में सक्षम थी और इस प्रकार, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे रिहा कर दिया गया।

4. जाँच पूरी होने और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को सौंप दिया गया।

चित्रदुर्ग। अपीलार्थियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 504,302,114 के तहत आरोप तय किए गए थे, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने उन्नीस गवाहों से पूछताछ की

और अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए तेरह दस्तावेज। अपीलार्थियों का मामला, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सीआरपीसी") की धारा 313 के तहत उनके बयानों में दर्ज किया गया था, पूरी तरह से इनकार करने वाला था। उनके द्वारा कोई बचाव साक्षय नहीं दिया गया था।

5. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के कई गवाह मुकर गए। मृतक के बेटे पीडब्लू-2 ने घटनाओं की एक वैकल्पिक श्रृंखला पेश की जिसमें उसने दावा किया कि मृतक ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह इस तथ्य को सहन नहीं कर सकी कि उसके बेटे थिप्पेस्वामीनाका को पहले अपीलार्थी के पति को पीटने के लिए गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। पीडब्लू-2 ने आगे कहा कि घटना के बाद मृतक बोलने में असमर्थ था। इसी तरह मृतक की बहू (पीडब्लू-5) ने भी अभियोजन पक्ष के बयान का खंडन किया और इस बात से इनकार किया कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई। उनके पति थिप्पेस्वामीनाका की गिरफ्तारी के संबंध में, पीडब्लू-5 ने इस तथ्य पर विवाद किया कि 10.09.1998 पर कोई झगड़ा हुआ था और दावा किया कि उन्हें अपने पति की गिरफ्तारी के पीछे के कारण की जानकारी नहीं थी। पी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-15, जो मजार के गवाह हैं, ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया; उन्होंने पुलिस द्वारा बुलाए जाने से इनकार किया और कहा

मल्लिकार्जुनप्पा) और पीडब्लू-16 (डॉ. ए. थिप्पेस्वामी)। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि मृतक (एक्स. पी.-5) का बयान, जिसमें अपीलार्थियों पर उस पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया था, वास्तविक और स्वैच्छिक था। 6. चूंकि यह विवाद में नहीं था कि जयम्मा की मृत्यु जलने की चोटों के कारण हुई थी, इसलिए निचली अदालत के समक्ष महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या मृत्यु आत्महत्या थी या हत्या। ट्रायल कोर्ट ने नोट किया कि [2021] 5 एस. सी. आर. पर एकमात्र सामग्री।

अभियुक्त व्यक्तियों को हत्या के अपराध से जोड़ने का रिकॉर्ड मृतक का Ex.P5 बयान था, जिसे मृत्यु घोषणा के रूप में माना जा रहा था। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए उक्त बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया। हालाँकि, शत्रुतापूर्ण गवाहों की गवाही, पीड़ित की जलने की चोटों की प्रकृति और किसी भी पुष्टिकारक साक्षय की कमी जैसी कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने पर, निचली अदालत की राय थी कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे Ex.P5 की वास्तविकता को साबित करने में विफल रहा था। अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले पीडब्लू-11 और पीडब्लू-16 के साक्षय अस्पष्ट और असंतोषजनक पाए गए। नतीजतन, अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा और अपीलार्थियों को बरी कर दिया।

7. उच्च न्यायालय ने अपील में निचली अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया और कहा कि मृत्यु घोषणा से युक्त साक्षय था पकड़ना और अपराधबोध को घर लाने के लिए पर्याप्त। जबकि अपीलार्थियों की ओर से कई तर्क उठाए गए प्रतीत होते हैं, उच्च न्यायालय

उसी को दरकिनार करते हुए, स्पष्ट रूप से कहा कि शत्रुतापूर्ण गवाहों की गवाही के साथ कोई विश्वास नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके बजाय उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-11 और पीडब्लू-16 की गवाही पर जोर दिया, जिन्होंने मृत्यु घोषणा (एक्सपी-5) की सामग्री की पुष्टि की थी। उच्च न्यायालय ने पी. डब्ल्यू.-11 और पी. डब्ल्यू.-16 की गवाही या मृत्यु घोषणा (एक्स. पी.-5) की सामग्री पर अविश्वास करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाया और निचली अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को उलट दिया। इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

8. उच्च न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट, अपीलकर्ताओं ने इन दो अपराधियों के माध्यम से अपनी दोषसिद्धि और सजा पर हमला किया है

अपीलें करें। चूँकि उच्च न्यायालय ने एक संक्षिप्त आदेश के माध्यम से अपने निष्कर्षों का सारांश दिया है, इसलिए हम दो प्रासंगिक पैराग्राफ नं। 4 और इसके विवादित निर्णय के 6 जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

" 4. विचार के माध्यम से हम पाते हैं कि हालांकि भौतिक गवाह PWs.2 और 5 शत्रुतापूर्ण हो गए हैं,

अभियोजन पक्ष द्वारा मृत्यु के माध्यम से प्रस्तुत साक्षय घोषणा बहुत ही निंदनीय है। पीडब्लू 11 ने बयान दर्ज किया और एक्स. पी.-5 में बयान दर्ज करने के तथ्य की गवाही दी और उनके साक्षय से यह भी पता चलता है कि यह उपस्थिति में दर्ज किया गया था।

डॉक्टर पी. डब्ल्यू. 16 और डॉक्टर ने जयम्मा एंड ए. एन. आर. में समर्थन दिया है।

Ex. P-5. उन्होंने यह भी बयान दिया है कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक थी और उसने स्वेच्छा से बयान दिया जिसे पीडब्लू11 ने उनकी उपस्थिति में दर्ज किया था। एक्स. पी. 5 की विषय-वस्तु में सभी अभियुक्तों को हत्या करने के लिए आरोपित किया गया है।

इरादा।

XXX XXX XXX

6. दस्तावेजों को अच्छी तरह से देखने पर, हम पाते हैं कि गवाहों के साक्षय के साथ कोई विश्वास नहीं जोड़ा जा सका है जो मुकर गए हैं। पीडब्लू16 एक स्वतंत्र गवाह है।

पीडब्लू 16 के साक्षय से पता चलता है कि मृतक ने एक्स. पी.-5 में एक बयान दिया था और यह स्वेच्छा से है और वह अपना बयान देने के लिए मानसिक स्थिति में थी। पीडब्लू 11 के साक्षय से पता चलता है कि उन्होंने पीडब्लू 16 की उपस्थिति में बयान दर्ज किया था

और एक्स. पी.-5 में डॉक्टर का अनुमोदन होता है। पीडब्लू के संस्करण पर अविश्वास करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। 1 (एस. आई. सी.) और 16 और एक्स. पी.-5 की सामग्री। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

कि मृत्यु जलने की चोटों के कारण हुई है जो एक्स. पी-5 की ई-सामग्री (एस. आई. सी.) की पुष्टि करता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि बरी होना कानूनी रूप से गलत है और इसलिए, इसे अलग कर दिया जाता है। परिणाम में हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं:

अपील की अनुमति है। अभियुक्त सं। 1 4 को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कारावास "।

सामग्री

9. हमने पक्षकारों के विद्वान परामर्शों को काफी विस्तार से सुना है और अभिलेख का गहराई से अध्ययन किया है। उठाए गए प्रमुख विवाद

अपीलार्थियों की ओर से कहा गया है कि उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से गुप्त है और इसने निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के सुविचारित आदेश को गलती से उलट दिया। चंद्रप्पा बनाम के मामलों सहित इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा करना। कर्नाटक राज्य 1, पेरला सोमशेखर रेड्डी और अन्य बनाम। ए. पी. 2 राज्य, राजस्थान राज्य बनाम शेरा राम 3, श्याम बाबू बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, मुरुगेसन

1 1 (2007) 4 एससीसी 415।

2 (2009) 16 एससीसी 98। 3 3 (2012) 1 एससीसी 602।

4 (2012) 8 एससीसी 651।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. स्टेट्स, मुक्किया बनाम। राज्य, और शिवशरणप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य ', यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए रिकॉर्ड पर साक्षय की जांच करने के लिए एक भारी कर्तव्य के तहत था, और एक स्पष्ट और ठोस निष्कर्ष वापस करना चाहिए कि क्यों

निचली अदालत के आदेश को बनाए रखना असंभव था या वह हस्तक्षेप के योग्य क्यों था। यह तर्क दिया गया कि न तो उच्च न्यायालय ने पूरे साक्षय का मूल्यांकन किया और न ही उसने निचली अदालत के विशिष्ट निष्कर्षों पर विचार किया, और इस तरह, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा। यह आगे तर्क दिया गया कि तथ्यों में और

वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ, उदा। पी-5 अर्थात, कथित मृत्यु घोषणा अपीलार्थियों को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं बन सकती है। सुरिदर कुमार बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। हरियाणा राज्य 3, यह प्रचार किया गया था कि चूंकि दस्तावेज एक्स. पी.-5 संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे एकमात्र दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। किसी भी पुष्टि के अभाव में दोषसिद्धि के लिए आधार। लर्नड काउंसल ने पापरमबाका रोसम्मा और ओआरएस वी की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। ए. पी. राज्य ने तर्क दिया कि मृत्यु घोषणा दर्ज करने से पहले मृतक की मानसिक स्वास्थ्य की पुष्टि करने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र के अभाव में, उच्च न्यायालय को एक्स. पी.-5 पर कोई निर्भरता नहीं रखनी चाहिए थी। तब यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि अभियोजन पक्ष वर्तमान मामले में कोई उद्देश्य स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है और इस प्रकार, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि असमर्थनीय थी।

10. कॉन्ट्रा के अनुसार, विद्वान राज्य वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि का समर्थन किया। उन्होंने विवादित आदेश के पैराग्राफ 4 और 6 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया ताकि यह सुझाव दिया जा सके कि उच्च न्यायालय ने न केवल एक सुविचारित निर्णय दिया था, बल्कि इसे विशिष्ट कारणों से भी पुष्ट किया था, जिससे बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। रिलायंस को विजय पाल बनाम पर रखा गया था। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) 0 यह तर्क देने के लिए कि सौ प्रतिशत जलने की चोटों के मामलों में भी, अदालतें अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए मृत्यु घोषणा पर भरोसा कर सकती हैं।

विश्लेषण

11. प्रतिद्वंद्वी विवादों के आलोक में, निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार के लिए आते हैं।

7 (2013) 5 एससीसी 705। 8 (2011) 10 एससीसी 173,25,26 और 28। 9 9 (1999) 7 एस. सी. सी. 695 ¶8,9 और 12। 10 (2015) 4 एससीसी 749।

जयम्मा और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य [सूर्या कांत, जे.]

उ. क्या उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निचली अदालत के निष्कर्षों को उलटने में गलती की?

ख. क्या अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह स्थापित किया है कि मृतक की मृत्यु अपीलार्थियों के हाथों हत्या से हुई थी?

12. यह देखा जा सकता है कि पूरा मामला दिनांकित 22.09.1998 की कथित मृत्यु घोषणा के साक्षय मूल्य के इर्द-गिर्द घूमता है।

(उदा. पी-5)। उच्च न्यायालय ने के. वी. मल्लिकार्जुनप्पा (पीडब्लू-11), जो एक्स. पी.-5 दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी हैं, और डॉ. ए. थिप्पेस्वामी (पीडब्लू 16), जो मृत्यु घोषणा दर्ज करने के समय मौजूद थे, के पुष्टिकारक बयानों के साथ-साथ इस पर बहुत अधिक भरोसा किया है और इस तरह का बयान देने के लिए मृतक की मानसिक स्वास्थ्य का भी समर्थन किया है। इस प्रकार उक्त के अनुवादित संस्करण को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी प्रतीत होता है।

मृत्यु घोषणा (एक्स. पी.-5) जो इस प्रकार है:

कुरुकोप्पा, रात को 10.00 बजे हमारे गाँव के निवासी रेड्डी नायक और उनकी पत्नी जयम्मा हमारे पास आए। कुरुकोप्पा और
शिकायत की कि क्योंकि मेरे बेटे ने पीटा था

उसके पति, उसने चार हजार रुपये खर्च किए हैं और गंदी भाषा में डांट लगाई है। मैं उस समय बहुत शांत था। अचानक रेड्डी नायक की पत्नी जयम्मा, चंद्र नायक का बेटा लच्छा नायक, राम नायक का बेटा थिप्पेशी, नाम्या नायक का बेटा शंकर नायक सभी आगे बढ़े।

उसे जान से मारने की धमकी दी, और उसके पूरे शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। इसलिए, मुझे अपने हाथों और पूरे शरीर पर जलने की चोटें आई हैं। जब मैंने शुरू किया

चिल्लाते हुए आरोपी मौके से भाग गया। मेरे बेटे रवि, राम नायक के बेटे, और मेरी बेटी शरदम्मा, मल्लनायक की पत्नी ने मेरे पूरे शरीर पर पानी डाला, आग बुझाई, और मेरे बेटे रवि और मेरी बेटी शरदम्मा मुझे इलाज के लिए एक गाड़ी में तालुक अस्पताल ले गए। मैं कानून में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना करता हूं।

13. इस स्तर पर यह उल्लेख करना सबसे अधिक प्रासंगिक है कि हमने मूल मृत्यु घोषणा (कन्नड़ भाषा में) का भी अध्ययन किया है। मूल मृत्यु घोषणा घायल के बयान से शुरू होती है, जो है कथित तौर पर पुलिस अधिकारी (पीडब्लू [2021] 5 एस. सी. आर.) द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर।

दाहिनी ओर की जगह पर, पुलिस अधिकारी (पीडब्लू-11) ने टिप्पणी की है कि उनके द्वारा थलक अस्पताल में रात में 1.15 बजे 22.09.1998 पर बयान दर्ज किया गया था और उसके बाद वह पुलिस स्टेशन आए और अपराध सं. 101 / 1998 धारा 504,307 के तहत पढ़ें 34 आई. पी. सी के साथ। पीडब्लू-11 की ये टिप्पणियां एक अलग स्याही में लिखी गई हैं, और यह आगे प्रतीत होता है कि पीडब्लू-11 ने भी मूल मृत्यु घोषणा में 'छोटा सुधार' करने के लिए एक ही कलम का उपयोग किया है, यानी, कुछ शब्द, जो एक अलग स्याही में लिखे गए हैं, मृत्यु घोषणा की दो पंक्तियों के बीच डाले गए हैं।

14. इससे पहले कि हम वास्तविक स्वीकार्यता और विश्वसनीयता का विज्ञापन करें

मृत्युपूर्व घोषणा (उदा. पी-5) में, मृत्युपूर्व घोषणा के साक्षयात्मक मूल्य और केवल उसके आधार पर दोषसिद्धि को बनाए रखने के आधार पर मामले-कानून के लिए खुद को तैयार करना फायदेमंद होगा। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि हालांकि इस विषय पर केस लॉ और इस न्यायालय द्वारा अविश्वसनीय न्यायशास्त्रीय योगदान की भारी संपत्ति है, हम सचेत रूप से इसका उल्लेख कर रहे हैं

केवल कुछ निर्णय जो हाथ में मामले के तथ्यों के करीब हैं। हम इन निर्णयों पर संक्षेप में ध्यान दे सकते हैं।

पी. वी. राधाकृष्ण में। वी. कर्नाटक राज्य ", यह न्यायालय

ए.

अवशिष्ट प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या जलने का प्रतिशत मरने की घोषणा की विश्वसनीयता और इसकी रिकॉर्डिंग की संभावना को प्रभावित करने के लिए एक निर्धारक कारक है। यह माना गया कि इस संबंध में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है और बहुत कुछ जलने की प्रकृति, शरीर के प्रभावित हिस्से, प्रभाव पर निर्भर करेगा। उस पर

सोचने की क्षमताओं और अन्य प्रासंगिक कारकों को बढ़ावा देना।

चाको वी. केरल राज्य ", इस न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया

बी.

मृत्यु घोषणा के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करें

जहाँ मृतक की आयु लगभग 70 वर्ष थी और उसने वह 80 प्रतिशत तक जल गया था। यह माना गया कि यह होगा

1 1 (2003) 6 एस. सी. सी. 443·16।

12 (2003) 1 एस. सी. सी. 112·3,4।

यम्मा और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य [सूर्या कांत, जे.]

यह स्वीकार करना मुश्किल है कि घायल व्यक्ति जलने के लगभग 8 से 9 घंटे के अंतराल के बाद एक विस्तृत मृत्यु घोषणा कर सकता है, जिसमें उद्देश्य और जिस तरह से उसे चोटें लगी थीं, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया है। यह निश्चित रूप से एक ऐसा मामला था जहां मृतक की मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में डॉक्टर द्वारा मृत्यु की घोषणा करने के लिए कोई प्रमाणन नहीं था। फिर भी, इस अदालत ने राय दी कि जिस तरह से घटना को मृत्यु घोषणा में दर्ज किया गया था, उसने दस्तावेज़ की वास्तविकता पर गंभीर संदेह पैदा किया। अदालत ने यह राय दी कि भले ही डॉक्टर ने उसमें "रोगी को होश में" दर्ज किया था, घाव प्रमाणपत्र में, यह तथ्य अपने आप में मृत्यु की घोषणा करने वाले रोगी की स्थिति के बारे में अभियोजन पक्ष के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा, न ही पहली बार अदालत के समक्ष किए गए डॉक्टर या जांच अधिकारी के मौखिक साक्षय से किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले में सुधार होगा।

शाम शंकर कांकरिया बनाम। महाराष्ट्र राज्य 1, यह फिर से कहा गया कि मृत्यु घोषणा केवल अप्रमाणित साक्षय का एक टुकड़ा है और किसी भी अन्य साक्षय की तरह न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि उसमें जो कहा गया है वह अप्रयुक्त सत्य है और उस पर कार्रवाई करना पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा, पानीबेन बनाम में निर्णय पर भरोसा करना। गुजरात राज्य "जिसमें इस न्यायालय ने मृत्यु घोषणा को नियंत्रित करने वाले कई पिछले फैसलों का सारांश दिया, शाम शंकर कांकरिया (सुप्रा) मामले में न्यायालय ने दोहराया: :

" (i) न तो कानून का शासन है और न ही विवेक का कि मृत्यु घोषणा के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

पुष्टि। (मुन्नू राजा बनाम देखें। एम. पी. का राज्य [(1976) 3 एससीसी 104]); ((ii) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मृत्यु घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है तो वह बिना किसी पुष्टि के उस पर दोषसिद्धि का आधार बना सकता है। (यू. पी. बनाम की स्थिति देखें। राम सागर

यादव [(1985) 1 एस. सी. सी. 552 और रामावती देवी बनाम। बिहार राज्य ((1983) 1 एस. सी. सी. 211);

सी. सी. 165 10,11। € 474 ¶ 18 .

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

((iii) न्यायालय को मृत्यु घोषणा की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषणा सही नहीं है।

शिक्षण, प्रेरणा या कल्पना का परिणाम। मृतक के पास हमलावरों का निरीक्षण करने और उनकी पहचान करने का अवसर था और वह घोषणा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में था। (के. रामचंद्र रेड्डी बनाम देखें। लोक अभियोजक [(1976) 3 एससीसी 618]);

((iv) जहाँ मृत्यु घोषणा संदिग्ध है, वहाँ बिना पुष्टि करने वाले साक्षय के उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। (रशीद बेग वी. देखें। एम. पी. राज्य [(1974) 4 एस. सी. सी. 264]);

(v) जहां मृतक बेहोश था और कभी भी मृत्यु की घोषणा नहीं कर सकता था, उसके संबंध में साक्षय को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। (केक सिंह बनाम देखें। एम. पी. का राज्य [1981 पूरक एस. सी. सी. 25]);

(vi) एक मृत्यु घोषणा जो दुर्बलता से ग्रस्त है

विश्वास का आधार नहीं बन सकता है। (राम मनोरथ बनाम देखें। उत्तर प्रदेश राज्य [(1981) 2 एस. सी. सी. 654]);

(vii) केवल इसलिए कि मृत्यु घोषणा में ऐसा नहीं है

लक्ष्मीपति नायडू [1980 सप एस. सी. सी. 455]); (viii) समान रूप से, केवल इसलिए कि यह एक संक्षिप्त कथन है, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, कथन की संक्षिप्तता ही सत्य की गारंटी देती है। (सूरजदेव ओझा बनाम देखें। बिहार राज्य [1980 पूरक एस. सी. सी. 769]);

(ix) आम तौर पर अदालत को संतुष्ट करने के लिए कि क्या

मृतक एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में था ताकि मृत्यु घोषणा को चिकित्सा राय तक देखा जा सके। लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि मृतक मृत्यु की घोषणा करने के लिए स्वस्थ और सचेत स्थिति में था, चिकित्सा राय प्रबल नहीं हो सकती है। (नन्हाऊ को देखें

राम वी. एम. पी. का राज्य [1988 सप एस. सी. सी. 152]); (x) जहां अभियोजन पक्ष का संस्करण मृत्यु घोषणा में दिए गए संस्करण से अलग है, वहां उक्त घोषणा पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। (यू. पी. बनाम की स्थिति देखें। मदन मोहन [(1989) 3 एस. सी. सी. 390]); जयम्मा और ए. एन. आर।

(xi) जहाँ मृत्यु घोषणा की प्रकृति में एक से अधिक कथन हैं, वहाँ समय की दृष्टि से पहले वाले कथन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेशक, अगर मृत्यु घोषणा की बहुलता को भरोसेमंद और विश्वसनीय माना जा सकता है, तो इसे स्वीकार करना होगा। (देखें मोहनलाल गंगाराम

गहनी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(1982) 1 एस. सी. सी. 700] "

15. यह बिना कहे चला जाता है कि जब मृत्यु की घोषणा कानून के अनुसार दर्ज की गई है, और यह एक ठोस और प्रशंसनीय देता है घटना के स्पष्टीकरण में, न्यायालय अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र साक्षय के रूप में इस पर भरोसा कर सकता है। यही कारण है कि साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 32 इसके विरुद्ध सामान्य नियम का अपवाद है।

सुनी हुई गवाही की ग्राह्यता और इसका खंड (1) मृत्यु के कथन को ग्राह्य बनाता है। ऐसा बयान, जिसे "मृत्यु घोषणा" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एक व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण या उन चोटों के बारे में दिया जाता है जो उसकी मृत्यु या उन परिस्थितियों में हुई थीं जिनके तहत चोटें लगी थीं। इस प्रकार एक मृत्यु घोषणा को इस आधार पर साक्षय में स्वीकार किया जाता है कि मृत्यु की प्रत्याशा एक कर्तव्यनिष्ठ और निर्दोष व्यक्ति के समान मानवीय भावनाओं को जन्म देती है।

शपथ के तहत। यह एक ऐसा कथन है जिसमें किसी व्यक्ति के मृत्यु से पहले के अंतिम शब्द शामिल होते हैं जिन्हें सच्चा माना जाता है, और किसी भी उद्देश्य या द्वेष से संक्रमित नहीं माना जाता है। इसलिए मृत्यु घोषणा आवश्यकता के सिद्धांत पर साक्षय में स्वीकार्य है क्योंकि निर्माता के जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद है, और यदि विश्वसनीय पाया जाता है, तो यह निश्चित रूप से दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

16. हम इस न्यायालय के निर्णय पर भी ध्यान दे सकते हैं -

सुरिंदर कुमार (सुप्रा) का मामला। उक्त मामले में, पीड़ित को जलने की चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी मृत्यु की घोषणा एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई थी। इस अदालत ने पहले संदेह व्यक्त किया कि क्या पीड़ित कथित मृत्यु घोषणा पर अंगूठे का निशान लगा सकती है जब उसे 95-97 प्रतिशत जलने की चोटें आई थीं। इसके बाद, यह नोट किया गया कि "बयान दर्ज करने के समय

मृत. इस तरह का बयान देने के लिए उसकी स्थिति के बारे में डॉक्टर का कोई समर्थन नहीं किया गया था ", और बयान दर्ज करने के बाद ही डॉक्टर ने कहा कि रोगी प्रश्नों का उत्तर देते समय होश में था, और" बयान देने के लिए उपयुक्त "था। इस अदालत ने अंत में ध्यान दिया कि कथित मृत्यु की घोषणा दर्ज होने से पहले, पीड़ित को उसके उपचार के दौरान फोर्टविन और पेथिडाइन इंजेक्शन दिए गए थे, और इसलिए उसे [2021] 5 एस. सी. आर. नहीं हो सकता था।

सामान्य सतर्कता। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि न तो कानून का नियम है और न ही विवेक का कि मृत्यु घोषणा पर बिना पुष्टि के कार्रवाई नहीं की जा सकती है, फिर भी न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि मृत्यु घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है, और तभी यह बिना पुष्टि के दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है।

17. उद्धृत सिद्धांतों के अनुरूप, इस न्यायालय ने इसे बनाए रखने से इनकार कर दिया

संपत बाबसो काले और एक अन्य v के मामले में दोषसिद्धि। महाराष्ट्र राज्य "। उस मामले में मरने की घोषणा एक पीड़ित द्वारा की गई थी जिसे 98 प्रतिशत जलने की चोटें आई थीं, और पीड़ित को दर्द निवारक दवाओं का इंजेक्शन दिए जाने के बाद बयान दर्ज किया गया था। इस न्यायालय ने एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया, और राय दी कि इस बारे में गंभीर संदेह थे कि क्या पीड़ित बयान देने के लिए मन की स्वस्थ स्थिति में था। जलने की चोटों की सीमा को देखते हुए, यह देखा गया कि पीड़ित को बहुत पीड़ा हुई होगी, और एक बार शामक दवा का इंजेक्शन लगाए जाने के बाद, उसके भ्रम की स्थिति में होने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, यह विशेष रूप से नोट किया गया था कि "डॉक्टर द्वारा किया गया समर्थन कि पीड़ित बयान देने के लिए मन की स्वस्थ स्थिति में था, बयान से पहले नहीं बल्कि बयान दर्ज होने के बाद किया गया है। आम तौर पर इसका उल्टा होना चाहिए।

[जोर दिया गया]

18. अब हम साक्षय मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं

कथित मृत्यु घोषणा (एक्स. पी.-5)। जैसा कि पहले देखा गया है, मृतक के दामाद और बहू, उनके पड़ोसी और आसपास के अन्य गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। केवल दो भौतिक गवाह बचे हैं, जिनमें से एक पुलिस अधिकारी के. वी. है।

मल्लिकार्जुनप्पा (पीडब्लू-11) जो मृत्यु घोषणा के लेखक हैं, जांच अधिकारी और अभियोजक। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण गवाह डॉ. ए. थिप्पेस्वामी (पीडब्लू-16) हैं, जो संबंधित समय में पीएचसी, थलक में काम कर रहे थे। उनके बयान के अनुसार, घायल का बयान उनके सामने ले जाया गया था और उस समय मरीज की मानसिक स्थिति ठीक थी। पीडब्लू-16 वही था जिसने अस्पताल में जयम्मा (मृतक पीड़ित) के भर्ती होने के बारे में पुलिस को सूचित किया था और अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया है कि भर्ती होने के तुरंत बाद दर्द निवारक दवाएं दी गई थीं। उन्होंने स्वीकार किया है कि चौथी डिग्री के जलने के मामले में रोगी "भ्रमित और भ्रम की अवधि में" होगा। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि दर्द निवारक दवाओं के कारण बंधन था

15 2019 (4) एस. सी. सी. 739 14,16।

उनींदापन होना। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि "हाथ, शरीर पूरी तरह से जल गया था" और "हाथ में उंगलियां शामिल हैं"। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वामित्व किया है कि पुलिस ने बयान दर्ज करने से पहले उसकी लिखित अनुमति नहीं ली।

19. के. वी. मल्लिकार्जुनप्पा (पीडब्लू-11) के बयान के संबंध में, उन्होंने बयान दिया है कि वह उस रात पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. थे जब उन्होंने लगभग 12 बजे तालुका सरकारी अस्पताल से फोन आया: 45 ए. एम. वह अस्पताल गया और उसने जयम्मा को जलते हुए देखा। उनके अनुसार डॉक्टर ने उनकी जाँच की और कहा कि "वह बात करने की स्थिति में थी", फिर डॉक्टर की उपस्थिति में जयम्मा का बयान लिया गया और उनके हस्ताक्षर करने के बाद, चिकित्सा अधिकारी ने भी इसका समर्थन किया और हस्ताक्षर किए। अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-11 ने कहा है कि "जयम्मा का बेटा, बहू और एक अन्य व्यक्ति भी था।

उपस्थित हैं। " हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया है कि घायलों का बयान दर्ज करने से पहले कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई थी या नहीं ली गई थी और उन्होंने "घायल जयम्मा से सवाल किया कि यह कैसे हुआ। फिर

उसने घटना के बारे में बताया। घायल जयम्मा जयम्मा ने आरोपी व्यक्तियों के बारे में बताया। अंगूठे का निशान

लिया गया था क्योंकि उक्त उंगली नहीं जली थी " 20. यह रिकॉर्ड की बात है कि मृतक का बेटा रवि कुमार (पीडब्लू-2) इस बात से बच रहा है कि घायलों को अस्पताल कौन लाया।

21. लिटमस टेस्ट, इसलिए, यह है कि क्या पीड़ित ने बयान दिया (एक्स. पी.-5) और यदि ऐसा है, तो क्या ऐसा बयान अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र आधार हो सकता है? 22. इस मुद्दे पर यथासंभव ध्यान देने के बाद, और मूल दस्तावेज़ एक्स. पी.-5 की एक मिनट की जांच पर (इसकी सामग्री को समझे बिना क्योंकि यह कन्नड़ भाषा में है, सिवाय इसके कि डॉक्टर का समर्थन अंग्रेजी में है) इसके सही अनुवाद के साथ पढ़ा जाता है, हम अपीलकर्ताओं [2021] 5 एस. सी. आर. को दोषी ठहराना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं पाते हैं।

उक्त दस्तावेज़ के आधार पर पीडब्लू-11 और पीडब्लू-16 द्वारा इसकी पुष्टि के साथ। हम कई कारणों से ऐसा कहते हैं जैसा कि आगे संक्षेप में बताया गया है:

सबसे पहले, मृत्यु घोषणा में घटनाओं का वर्णन इतना सटीक है कि मन की सामान्य स्थिति में एक गवाह से भी इतनी सटीकता के साथ गवाही देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालाँकि यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा मृतक से पूछताछ की गई थी, लेकिन कथित मृत्यु घोषणा प्रश्न और उत्तर प्रारूप में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभुत्व ने उत्तरों को केवल एक दिशा में प्रभावित किया है।

दूसरा, घायल पीड़ित एक अनपढ़ बूढ़ा व्यक्ति था और यह मानवीय संभावनाओं से परे प्रतीत होता है कि वह सक्षम होती

इतने उच्च स्तर की सटीकता के साथ घटना के कार्यवृत्त का वर्णन करें।

तीसरा, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि पीड़ित को अत्यधिक शामक दर्द निवारक दवाएं दी गई थीं। पीड़ित के शरीर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों में 80 प्रतिशत जलने की चोटों के कारण, यह वैध रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह दर्द से जूझ रही थी और बहुत पीड़ा में थी और उसके भ्रम और मतिभ्रम की स्थिति में होने की संभावना नहीं है।

पूरी तरह से खारिज कर दिया। हम ऐसा दोहराने की कीमत पर कहते हैं कि डॉक्टर (पीडब्लू-16) ने इस बात का समर्थन किया कि पीड़ित 'बयान दर्ज होने के बाद' बयान देने के लिए स्वस्थ स्थिति में था, न कि 'पहले'-यह सामान्य प्रथा है। हमें आगे यह प्रतीत होता है कि घायलों के संकायों में भारी कमी आई थी और सूचनात्मक रूप में बयान देने के बजाय उन्होंने स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारी (पीडब्लू-11) के इरादे का समर्थन किया था। यह सच है कि पुलिस अधिकारी (पीडब्लू-11) के पास पीसने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं थी या अपीलार्थियों को फंसाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन कुछ ही समय में एक आपराधिक मामले को हल करने के लिए उनका अति उत्साह प्रतीत होता है

पुलिस अधिकारी (पीडब्लू-11) को इतना प्रभावित किया है कि उसने बयान दर्ज करने से पहले डॉक्टर से पीड़ित की फिटनेस का समर्थन करने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने इस तरह के बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बुलाना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि वे स्वयं सबसे अच्छी तरह से जानते थे।

चौथा, एक तरफ डॉ. ए. थिप्पेस्वामी (पीडब्लू-16) और पुलिस अधिकारी के बयान के बीच गंभीर विरोधाभास है। दूसरी ओर, के. वी. मल्लिकार्जुनप्पा (पीडब्लू-11) ने पीड़ित के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लगी जलने की चोटों की प्रकृति के संबंध में बताया। जबकि डॉक्टर स्वीकार करता है कि जले हुए घावों में पीड़ित के हाथ भी शामिल हैं, पुलिस अधिकारी का दावा है कि उसके हाथ सुरक्षित थे और वह अपनी जयम्मा और ए. एन. आर. डाल सकती थी।

वी. कर्नाटक राज्य [सूर्या कांत, जे.]

अंगूठे का निशान। हमने अंगूठे की छाप को बहुत सावधानी से देखा है और यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है। यदि ऐसा है, तो चिकित्सा अधिकारी, जिनके बयान को चोटों की प्रकृति और गंभीरता के संबंध में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, गलत है।

पाँचवाँ, और सबसे महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारी के. वी.

मल्लिकार्जुनप्पा (पीडब्लू-11) स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ऐसा करने की मांग नहीं की थी।

डॉक्टर से समर्थन कि क्या घायल स्वस्थ स्थिति में था

बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, एक बयान देने का मन। पुलिस अधिकारी के साथ-साथ डॉक्टर दोनों ने डॉक्टर के कथित मौखिक समर्थन का उल्लेख करके इस गंभीर कमी को छिपाने की कोशिश की है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण में था और कानूनी कमी को भरने के लिए, उसने बाद में डॉक्टर (पीडब्लू-16) से उपलब्ध स्थान पर समर्थन प्राप्त किया।

कागज, जो पूर्व-दृष्टि से असामान्य है और तय कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

छठा, हत्या का कथित मकसद बेहद संदिग्ध है। सबूत का एक अंश भी नहीं है, और अभियोजन पक्ष ने कोई प्रयास नहीं किया है

बयान में सच्चाई की पुष्टि करने के लिए कि अपीलकर्ताओं ने मिट्टी का तेल डाला और पीड़ित को केवल इसलिए आग लगा दी क्योंकि उसके बेटे ने अपीलार्थी संख्या 1 के पति पर हमला किया था और आरोपी 4,000/- रुपये का भुगतान करने पर जोर दे रहे थे जो उक्त हमले की पीड़ित के इलाज पर खर्च किया गया था। बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है जब मृतक के अपने बेटे और बहू ने इस घटना से इनकार किया है और दावा किया है कि उनकी सास ने आत्महत्या कर ली है।

हमें एक्स. पी.-5 का राग अलापने से रोकने का सातवां कारण पक्षों का आचरण है, यानी एक स्वाभाविक उपाय जो होने की उम्मीद है।

अगर यह हत्या का मामला होता और पीड़ित के बेटे (पीडब्लू-2) और उसकी बहू (पीडब्लू-5) ने इस घटना को देखा होता, तो सभी संभावनाओं में, उन्होंने घायलों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करते हुए, निश्चित रूप से पुलिस में शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया होता। इसके विपरीत, डॉक्टर और पुलिस अधिकारी के साक्षय से पता चलता है कि मृतक का बेटा, बहू और पड़ोसी अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस तरह के भयानक अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस से संपर्क नहीं किया। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि मृतक के दामाद और बहू को घटना के कुछ घंटों के भीतर आरोपी व्यक्तियों ने जीत लिया था। यह असामान्य आचरण और व्यवहार समानांतर संस्करण को समर्थन देता है कि पीड़ित ने आत्महत्या की होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आठवाँ कारण जो हमें स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक बनाता है

कथित मृत्यु घोषणा की सामग्री (उदा. पी-5), यह तथ्य है कि पीड़ित, जयम्मा को 22.09.1998 पर सुबह 12.30 पर सिविल अस्पताल लाया गया था। लगभग 30 घंटे बाद 5 बजे उसने दम तोड़ दिया। 30 मैं 23.09.1998 पर हूँ। यह न तो अभियोजन का मामला है और न ही पीडब्लू-11 या पीडब्लू-16 द्वारा ऐसा कहा गया है कि उसका बयान दर्ज करने के तुरंत बाद (पूर्व। पी-5) वह बेहोश हो गई या कोमा में चली गई। अभियोजन पक्ष, इसलिए, मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए न्यायिक/कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बुलाने के लिए पर्याप्त समय था। यह सामान्य ज्ञान है कि ऐसे अधिकारियों को प्रमाणन या अनुमोदन सहित सभी अनिवार्य पूर्व-आवश्यकताओं का पालन करने के बाद मृत्यु घोषणाओं को दर्ज करने के लिए न्यायिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

चिकित्सा अधिकारी से कि पीड़ित बयान देने के लिए मन की स्वस्थ स्थिति में था। हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि कानून अनिवार्य रूप से न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रखता है।

मृत्यु घोषणा या मृत्यु घोषणा को एकमात्र साक्षय के रूप में तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज नहीं किया जाता है। यह केवल विवेक के नियम के रूप में है, और यदि तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है, तो मृत्यु घोषणा को अधिमानतः न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जा सकता है ताकि अभियोजन मामले को अतिरिक्त ताकत मिल सके।

23. उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से अलग होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण। अपीलार्थियों का दृढ़ विश्वास है कि जांच की शक्ति

धारा 378 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग करने योग्य, सी. आर. पी. सी. को नियमित रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए जहां निचली अदालत द्वारा गठित दृष्टिकोण एक 'संभावित दृष्टिकोण' था। निचली अदालत के फैसले को केवल इसलिए दरकिनार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय अपने स्वयं के दृष्टिकोण को अधिक संभावित पाता है, सिवाय इसके कि निचली अदालत का फैसला विकृति से ग्रस्त है या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष असंभव थे यदि रिकॉर्ड पर साक्षय का सही अध्ययन और विश्लेषण किया गया था। इसे अलग तरह से कहने के लिए, जब तक कि उच्च न्यायालय यह नहीं पाता है कि भौतिक साक्षय का पूरी तरह से गलत अध्ययन किया गया है जिसके कारण न्याय की विफलता हुई है, निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण जो संभवतः एक सही दृष्टिकोण भी हो सकता है, में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यह आत्म-संयम सिद्धांत, निश्चित रूप से, उच्च न्यायालय को सबूतों की पुनः सराहना करने की अपनी शक्तियों से वंचित नहीं करता है, जिसमें बरी होने के खिलाफ अपील करना और तथ्य के एक अलग दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचना शामिल है।

24. यदि हाथ में मामले का मूल्यांकन इन मापदंडों पर किया जाता है, तो यह हो सकता है

अपने आदेश के पैराग्राफ 4 और 6 से देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर संक्षिप्त रूप से विचार किया और जयम्मा और ए. एन. आर. पर भी चर्चा नहीं की।

नेत्र साक्षय, विशेष रूप से मृतक के दामाद और बहू, जिन्होंने कुछ हद तक डॉक्टर (पीडब्लू-16) या जांच अधिकारी (पीडब्लू-11) के कथन को झुठलाया है। हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि मृतक के बेटे रवि कुमार (पीडब्लू-2) के अनुसार, पीड़ित जयम्मा होश खो चुकी थी और उस समय बोलने में असमर्थ थी जब उसे कुमारनिका (पीडब्लू-3) द्वारा व्यवस्थित बैलगाड़ी में अस्पताल ले जाया गया था। इस तरह के बयानों को खारिज या अस्वीकार किए बिना, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि घायल-जयम्मा 1 पर मानसिक रूप से स्वस्थ थीः 15 ए. एम. जब कथित मृत्यु घोषणा थी

रिकॉर्ड किया गया। आघात और दर्द निवारक दवाओं के संयुक्त प्रभाव के कारण उसकी मानसिक स्थिति की अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने मृत्यु घोषणा (एक्स. पी.-5) पर भरोसा किया क्योंकि डॉक्टर (पीडब्लू) के बयानों द्वारा इसकी कथित रूप से पुष्टि की गई थी।

(पीडब्लू-11) का दावा है कि पीड़ित के हाथ पर कोई जलन की चोट नहीं थी, इसलिए वह मरने की घोषणा पर अपने बाएं अंगूठे का निशान लगा सकती थी (उदा. पी-5)। इन स्पष्ट अंतर्विरोधों पर उच्च न्यायालय का ध्यान नहीं जाना चाहिए था।

25. इस मोड़ पर, हम अपीलार्थियों के उद्देश्य की प्रकृति पर भी विचार कर सकते हैं। दस्तावेज़ (उदा. पी-5) स्वयं यह बताता है कि घायल-मृतक के बेटे थिप्पेस्वामीनाका ने अपीलार्थी नंबर 1 के पति को पीटा था और अपीलार्थियों ने स्पष्ट रूप से चिकित्सा का खर्च उठाया था। रुपये तक का खर्च। 4,000 / - जिसे उन्होंने घायल मृतक से माँगा और फिर उन्होंने मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। में

घायल पक्ष की ओर से किसी भी उकसावे की अनुपस्थिति, कारण अपने आप में इतना तुच्छ प्रकृति का है और अपीलार्थी संख्या 1 के पति को कोई चोट पहुँचाने के तथ्य को मृतक की पुत्रवधू, अर्थात् सरोजा बाई (पीडब्लू-5) द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है, इस तथ्य के साथ कि ऐसी किसी भी घटना को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है हुआ, हम संतुष्ट हैं कि तथाकथित उद्देश्य और घोषणा पूर्व बिल्कुल भी साबित नहीं हुई है। पी-5, इस प्रकार, एक गैर-मौजूद घटना का पाठ करता है।

26. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चित्रदुर्ग ने अपने दिनांक 30.11.2001 के फैसले में बिंदु संख्या तैयार की। 1 इस बारे में कि क्या अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम था कि अभियुक्त व्यक्ति [2021] 5 एस. सी. आर.

जयम्मा को मारने के इरादे से उसके घर गई और उसे उठा लिया। पिछले विवाद के संबंध में झगड़ा किया और फिर उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पूरे साक्षय की व्यापक रूप से जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि मकसद या घटना के सभी गवाहों ने विरोध किया है और शत्रुतापूर्ण घोषित किया है, उनके पास यह तय करने के लिए अवशिष्ट प्रश्न छोड़ दिया गया कि क्या मृत्यु आत्महत्या थी या हत्या। इसके बाद उन्होंने मृत्यु घोषणा पर विचार किया (उदा. पी-5) पुलिस अधिकारी (पीडब्लू-11) और डॉक्टर (पीडब्लू-16) के बयानों का गहन और आलोचनात्मक विश्लेषण किया। (i) मृत्यु घोषणा-5 में अंतर्वेशन, (ii) हथेली पर चोटों के संबंध में पीडब्लू-11 और पीडब्लू-16 के बयानों में विरोधाभास, (iii) 80 प्रतिशत चोटों के साथ पीड़ित स्पष्ट रूप से बात करने या बयान देने की स्थिति में नहीं था, (iv) मृतक के बेटे पीडब्लू-2 ने स्वयं कहा है कि उनके

माँ ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकी कि उसके दूसरे बेटे को जेल भेज दिया गया था, (v) बयान एक्स. पी.-5 के लिए कोई पुष्टि करने वाला सबूत नहीं है, और (vi) बयान एक्स. पी.-5 के अलावा अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ने के लिए अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में कोई अन्य सबूत नहीं है, उसने मृत्यु घोषणा (एक्स. पी-5)। 27. हम विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इस आदेश के पैराग्राफ 22 में हमने जो कारण बताए हैं, वे हैं -

केवल मृत्यु घोषणा एक्स के आधार पर दोषसिद्धि को बनाए रखना मुश्किल है। पी-5। 28. नतीजतन, और वनों के कारण, दोनों अपीलों की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय का दिनांकित 29.07.2008 का विवादित आदेश है

अलग रख दिया जाता है और अपीलार्थियों को मुक्त कर दिया जाता है। चूंकि, वे पहले से ही जमानत पर हैं, इसलिए उनके जमानत बांड जारी कर दिए जाते हैं।

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन